न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 29/2016/ आवेदन 251-ए

1. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. गिरधारी दत्तक पुत्र सुखाराम जाति मीणा निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री शिवपालसिंह वकील अप्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक – **03.02.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा 1112 लगायत 1118 किता 7 कुल रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में मौके पर आवेदक की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमियां है। उपरोक्त भूमियों में जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4168/1111/1 रकबा 0.68 है0 में से होकर 25 फीट चौड़ा होकर ओर 40 मीटर लम्बा रास्ता चाहते है। अप्रार्थी की भूमियों के पश्चिम साईड मे सटाकर खाटूश्यामजी से मण्ढा जाने वाला मुख्य सडक मार्ग है जहां से खसरा नम्बर 4168/1111/2 रकबा 0.25 है0 भूमि अप्रार्थी द्वारा अपनी पत्नि किरण देवी के नाम विकय कर समपरिवर्तन करवा दी गई। उक्त खसरा नम्बर में प्लाट काटकर डामर की रोड मौके पर खसरा नम्बर 1111/2 की पूर्वी सीमा तक बनी हुई है। उससे आगे खसरा नम्बर 1111/1 में से रास्ता चहा गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुचने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित हो जायेगे। मै यह प्रार्थना पत्र मेरी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

आज्ञा प्रादन करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि मुझे मेरी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1112 लगायत 1118 किता 7 कुल रकबा 3.45 है0 तन ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एक मात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 4168/1111/1 रकबा 0.68 है0 मे से होकर 25 फीट चौडा ओर 40 मीटर लम्बा रास्ता दिलवाने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील शिवपाल सिंह ने आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रारम्भिक विधिक आपतियां पेश की। जिसमें कथन किया कि खसरा नम्बर 4169/1111 रकबा 0.25 है0 के खातेदार सुवा पुत्र सुवा पुत्र गाडु जाति मीणा सा0 देह खातेदार जो दिनांक 01.11.2014 को फौत हो चुके है इनके विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही अभी नहीं हुई है। इनके विधिक वारिसान जो उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिनको प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा भूमि खसरा नम्बर 4754/4168 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी किरण देवी पत्नि गिरधारी लाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार आवश्यक पक्षकार है जिनको प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनया गया है इसलिए प्ररतुत आवेदन आवश्यक पक्षकारों के अभाव में विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। वकील प्रार्थी ने प्रारम्भिक विधिक आपति का जबाब पेश किया जिसमे कथन किया कि अप्रार्थी की भूमि भूमियों के पश्चिम साईड से सटाकर खाटूश्यामजी से मण्डा जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग जहां से खसरा नम्बर 4168/1111/2 रकबा 0.25 है0 भूमि अप्रार्थी ने अपनी पत्नि किरण देवी के नाम विक्रय कर सम्परिवर्तन करवा दिया है उक्त खसरा नम्बर में प्लाट काट कर डामर की रोड़ मौके पर खसरा नम्बर 1112 की पूर्वी सीमा तक बनी हुई है उसके आगे खसरा नम्बर 4168/1111/पत्र में से रास्ता चाहा गया है खसरा नम्बर 4168/1111/1 रकबा 0.68 है0 की खातेदारी विभाजन होकर अकेले अप्रार्थी के नाम से दर्ज है ऐसी स्थिति में अन्य किसी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी ने मात्र प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। भू0अ0नि0 खाटूश्यामजी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंकिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा भू0अ0नि0 खाटूश्यामजी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1112 के पश्चिम दिशा की सीमा से लगता हुआ खसरा नम्बर 4755/4168 में से 40 मीटर लम्बा तथा 7.50 चौड़ा रास्ता दिया जाने पर प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हो सकता है। इससे नजदकी अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी जगदीश प्रसाद को खसरा नम्बर 4755/4168 में से 40 मीटर लम्बा व 7.50 मीटर चौड़ा रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उप पंजीयक दांतारामगढ सें प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 1,76,536/रूपये अप्रार्थी खातेदारान को दिया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थी सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * दांतारामगढ (सीकर)

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ